न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(टीना डाबी,आई.ए.एस द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या

प्रविष्टि दिनांक

11 / 2026

17.03.2026

जरिये धर्मचन्द अग्रवाल प्रवर्तन अधिकारी टोंक, जिला रसद कार्यालय टोंक

– प्रार्थी

बनाम

सत्यनारायण शर्मा जलपान स्टोर अंकित मेडिकल के पास मेहन्दी बाग टोंक

– अप्रार्थी

जब्तशुदा 01 घरेलू गैस सिलेण्डर मय एलपीजी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत निस्तारण कर राजसात करने बाबत

उपस्थितः–

1– पेरोकार सरकार – प्रार्थी की ओर से

निर्णय दिनांक 9.06.2026

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि दिनांक 10–03–2026 को प्रवर्तन अधिकारी टोंक बहमराह जिला रसद अधिकारी के साथ घरेलू गैस सिलेण्डरों के व्यवसायिक दुरूपयोग में निरीक्षण/जांच हेतु संयुक्त जाँच दल के रूप में मेहन्दी बाग में अंकित मेडिकल के पास श्री सत्यनारायण शर्मा द्वारा चाय बनाने का कार्य किया जा रहा था। मौके पर घरेलू सिलेण्डर का अवैध भण्डारण एवं व्यवसायिक कार्य हेतु उपयोग में लाया जाना पाया गया जो एलपीजी (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लघंन है। अतः घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध भण्डारण करने के कारण उक्त 01 घरेलू गैस सिलेण्डर मौके पर जब्त कर निरीक्षण प्रपत्र मय अभिग्रहण एवं सुपूर्दगीनामा तैयार किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है

(सभी मात्रा किलोग्राम में)

क्र0सं0	एस. आर. नं.	कम्पनी का नाम	मानक भार (मात्रा K.G.)	खाली सिलेण्डर का वजन	सिलेण्डर का वजन तौलने पर	शुद्व गैस
1	122718	BPCL	14.2	27.00	15.7	11.3
						11.3

जिला कलेक्टर

टोंक

अतः उक्त जब्तशुदा 01 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 11.3 Kg एलपीजी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत निस्तारित करते हुए,उक्त जब्तशुदा सामग्री को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी की गयी। अप्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रकरण मे पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

पेरोकार सरकार ने दौराने बहस कथन किया कि दिनांक 10—03—2026 को प्रवर्तन अधिकारी टोंक बहमराह जिला रसद अधिकारी टोंक के साथ घरेलू गैस सिलेण्डर के व्यवसायिक दुरूपयोग में निरीक्षण/जांच हेतु संयुक्त जॉच दल के रूप में मेहन्दी बाग में अंकित मेडिकल के पास श्री सत्यनारायण शर्मा द्वारा चाय बनाने का कार्य किया जा रहा था। मौके पर घरेलू सिलेण्डर का अवैध भण्डारण एवं व्यवसायिक कार्य हेतु उपयोग में लाया जाना पाया गया जो एलपीजी (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लघंन है। अतः घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण करने के कारण उक्त 01 घरेलू गैस सिलेण्डर मौके पर जब्त कर निरीक्षण प्रपत्र मय अभिग्रहण एवं सुपूर्दगीनामा तैयार किया गया। इस प्रकार मौके पर उपस्थित फर्म के प्रतिनिधि श्री सत्यनारायण शर्मा द्वारा घरेलू गैस सिलण्डरों का दुरूपयोग कर अवैध रूप से भण्डारण किया जाना पाया गया जिसके बारे में कोई साक्ष्य उनके द्वारा मौके पर नहीं दिये गये। अतः 01 घरेलू गैस सिलेण्डर को जब्त कर सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित रखने हेतु बून्देल गैस एजेंसी टोंक के प्रतिनिधि श्री सत्यनारायण महावर की सपुदर्गी में दिया जाकर निर्देशित किया गया कि जब भी जहाँ भी राज्य सरकार मांगे प्रस्तुत करे तथा इनको खुर्द—बुर्द नहीं करें। उक्त कृत्य कर एलपीजी (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लघन किया है। अतः उक्त जब्तशुदा 01 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 11.3 Kg एलपीजी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होने से उक्त सामग्री जप्त सरकार कि गई है,जिसे राजसात किया जावे।

पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। फर्द मौका जप्ती दि0 10.03.2026 के अनुसार सत्यनारायण शर्मा जलपान स्टोर अंकित मेडिकल के पास मेहन्दी बाग टोंक की दुकान/व्यवसाय स्थल की जांच करने पर मौके पर 14.2 KG क्षमता के 01 सिलेण्डर मिले। घरेलू गैस सिलेण्डर को व्यवसायी द्वारा अवैध रूप से मौके पर व्यवसायिक कार्य हेतु उपयोग मे लाया जाना पाया गया। सिलेण्डर का विवरण निम्नानुसार है ।

जिला कलेक्टर
टोंक

(सभी मात्रा किलोग्राम में)

क0सं0	एस. आर. नं.	कम्पनी का नाम	मानक भार (मात्रा K.G.)	खाली सिलेण्डर का वजन	सिलेण्डर का वजन तौलने पर	शुद्ध गैस
1	122718	BPCL	14.2	27.00	15.7	11.3
						11.3

घरेलू गैस के व्यवसायिक कार्यों में दुरूपयोग रोकने की कार्यवाही हेतु जांच दल द्वारा जांच करने पर दुकान/व्यवसाय स्थल पर मौके पर 01 घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध भण्डारण किया जाना पाया गया। फर्द मौका/जप्ती पर पकंज,सत्यनारायण व सत्यनारायण महावर के हस्ताक्षर है। सुपुर्दगीनामे पर भी पकंज,सत्यनारायण व सत्यनारायण महावर के हस्ताक्षर है तथा बून्देल गैस एजेंसी, टोंक के प्रतिनिधि श्री सत्यनारायण महावर के हस्ताक्षर है जिनको उक्त सामग्री सुपुर्दगी मे दी गई है।

घरेलू गैस जिस पर सरकार द्वारा समय–समय पर सब्सिडी दी जाती है को मौके पर व्यवसायी द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर का भण्डारण, अवैध रूप से कार्य मे प्रयुक्त कर दुरुपयोग किये जाने से उक्त कृत्य कर एलपीजी आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अतः उक्त सामग्री को राजसात किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा जब्तशुदा 01 नग उक्त वर्णित घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर मय 11.3 किलोग्राम को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी टोंक को निर्देशित किया जाता है कि जब्तशुदा सामग्री का नियमानुसार निस्तारण करे।

निर्णय आज दिनांक 09.06.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(टीना डाबी)
जिला कलेक्टर, टोंक